

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला  
जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 271/12

संस्थापन दिनांक :- 12/06/12

फाइलिंग नं. 233504000982012

मध्यप्रदेश राज्य  
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,  
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

**वि रु द्ध**

विनय पिता विश्राम गोड़,  
उम्र 20 वर्ष, निवासी झीरीखापा,  
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्त

**-( नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 09.11.2017 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-25 (1-बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 11.06.2012 को शाम 07:00 बजे बस स्टैंड पंखा के पास सार्वजनिक स्थान पर बिना किसी मय अनुज्ञा पत्र के अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 में विनिर्दिष्ट मापदंड से अधिक लंबाई, चौड़ाई का आयुध धारदार लोहे की छुरी अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में अवैध रूप से रखा।

2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 11.06.2012 को थाना प्रभारी आर.के. दुबे को मुखबिर से सूचना मिली कि पंखा बस स्टैंड में अभियुक्त अपने हाथ में लोहे की धारदार छुरी लेकर लोगों को डरा धमका रहा है। जिस पर वह हमराह स्टाफ एवं रहागीर साक्षी के मौके पर पहुंचा जहां अभियुक्त को घेराबंदी कर पकड़ा। अभियुक्त ने छुरी रखने बाबत कोई लायसेंस नहीं बताया जिस पर उसने मौके पर अभियुक्त से एक लोहे की छुरी जप्त कर जप्ती पत्रक एवं अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 230/12 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 11.06.2012 को शाम 07:00 बजे बस स्टैंड पंखा के पास सार्वजनिक स्थान पर बिना किसी मय अनुज्ञा पत्र के अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 में विनिर्दिष्ट मापदंड से अधिक लंबाई, चौड़ाई का आयुध धारदार लोहे की छुरी अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में अवैध रूप से रखा?”

### ।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

5 आर.के. दुबे (अ.सा.-2) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 11.06.2012 को थाना आमला में टी.आई. के पद पर पदस्थ रहते हुए मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर हमराह स्टाफ एवं हमराह साक्षी के साथ ग्राम पंखा बस स्टैंड पहुंचा जहां उसे अभियुक्त हाथ में लोहे की छुरी लिए मिला जिस पर उसने अभियुक्त से गवाहों के समक्ष एक लोहे की छुरी जप्त कर (प्रदर्श प्री-1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-3) लेख की थी।

6 साक्षी कुवेरसिंह (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 11.06.2012 को थाना आमला में पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को थाना प्रभारी के साथ हमराह जाना तथा अभियुक्त को लेकर आना प्रकट किया है।

7 प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी विजय एवं कमलेश के अदम पता हो जाने के कारण उक्त साक्षीगण की साक्ष्य न्यायालय में अंकित नहीं की जा सकी है। अभिलेख पर कुवेरसिंह (अ.सा.-1) एवं आर.के. दुबे (अ.सा.-2) की साक्ष्य उपलब्ध है। **न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ़ एम०पी० ए.आई.आर.1973 एससी 2783** के अनुसार पंच साक्षीगण की साक्ष्य के आभाव में भी जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।

8 आर.के. दुबे (अ.सा.-2) ने न्यायालयीन परीक्षण में सूचना मिलने पर बस स्टैंड जाना, अभियुक्त से लोहे की धारदार छुरी जप्त करना एवं अभियुक्त को गिरफ्तार करने के उपरांत थाना वापस आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करना बताया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी से औपचारिक स्वरूप के प्रश्न पूछे गये हैं जिससे उसके द्वारा की गयी अनुसंधान कार्यवाही का ब्योरा प्रकट होता है।

9 जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श पी-2) में अपराध क्रमांक लेख है जिससे इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उक्त प्रपत्र जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही उपरांत तैयार किये गये होंगे। जप्ती पत्रक में जप्ती का समय 19:00 बजे लेख है तथा गिरफ्तारी पत्रक में गिरफ्तारी के समय में ओव्हर राईटिंग की गयी है। जप्ती पत्रक के अवलोकन से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि अभियुक्त से कथित आयुध मौके पर जप्त कर सीलबंद किया गया। प्रकरण में रोजनामचा सान्हा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपर्युक्त परिस्थितियों में निश्चायक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि कथित आयुध वही है जो कि अभियुक्त से जप्त किया गया था।

10 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त नेदिनांक 11.06.2012 को शाम 07:00 बजे बस स्टैंड पंखा के पास सार्वजनिक स्थान पर बिना किसी मय अनुज्ञा पत्र के अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 में विनिर्दिष्ट मापदंड से अधिक लंबाई, चौड़ाई का आयुध धारदार लोहे की छुरी अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में अवैध रूप से रखा। अतः अभियुक्त विनय को धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

11 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे की छुरी अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

12 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

13 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)